

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Rohtak Year (वर्ष): 2024

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0003

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):

23/01/2024 12:27 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
2	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)E

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):

Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 23/01/2024 Time (समय): 11:55 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 008 Date and Time (दिनांक और समय): 23/01/2024 12:06 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): SOUTH, 50 Km Beat No. (बीट सं.): (s)

(b) Address (पता): बहादुरगढ़ व झज्जर,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): BIJENDER KUMAR

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 01/04/1967 (d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):



- (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.) ID Type (पहचान पत्र का प्रकार) ID Number (पहचान संख्या)

- (h) Occupation (व्यवसाय):

- (i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	उपकेन्द्र एंटी करप्शन ब्यूरो, झज्जरJHAJJAR, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	उपकेन्द्र एंटी करप्शन ब्यूरो, झज्जरJHAJJAR, HARYANA, INDIA

- (j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8708356234

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	सतीश कुमार डाटा एन्ट्री ऑपरेटर बहादुरगढ़		Father's Name: श्री जयसिंह	1. गांव रावलधी, CHARKHI DADRI, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

श्रीमान जी, जांच क्रमांक 05 दिनांक 11.07.2018 झज्जर कार्यालय महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, हरियाणा, पंचकुला के पृष्ठांकन 10125-27/आई-6/रा.चौ. ब्यूरो (हरि) दिनांक 16.07.2018 के अनुसार दर्ज रजिस्टर होकर पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक मण्डल, रोहतक के डायरी क्रमांक 1571 दिनांक 18.07.2018 के अनुसार पडताल हेतु प्राप्त हुई थी। जिसमें आरोप की पडताल की जानी थी कि सतीश कुमार वर्ष 2004 में झज्जर में आर. सी. की सीट पर कम्प्यूटर ऑपरेटर (डी. सी. रेट पर) लगा था, जो कि उसी सीट पर ये बन्दा आज तक कार्य कर रहा है। उक्त सतीश इस समय बहादुरगढ़ में DTO आफिस में रशीद काटने का कार्य करता है। वर्ष 2004 में उक्त सतीश के पास



01 मोटर साइकिल थी। आज के समय में उक्त श्री सतीश के पास पटाखे का गोदाम फैक्ट्री, झज्जर में 04 प्लाट, गुडगांव में प्लाट, गहंगी कार है व गहंगे खर्च करता है। प्रतिवादी सतीश रोजाना लगभग रुपये 20-30 हजार कमाता है। डी.आई. इसके इशारे पर हर ऑपरेटर को लाईसेंस आर.सी, रजिस्ट्री इसके इशारे पर हर महीने 30-40 हजार रुपये देने होते हैं जो बन्दा इन सीटों पर रहता है।

जांच के दौरान पाया गया कि प्रतिवादी सतीश कुमार द्वारा उसकी धर्मपत्नी मुनीष के नाम से नगरपालिका, झज्जर की सीमा में चसीका नं० 9058 दिनांक 28.10.2011 के अनुसार 153 वर्ग गज का एक प्लाट रुपये 7,65,000/- में 43,500 रुपये स्टाम्प शुल्क व रजिस्ट्रेशन फीस खर्च करके श्री सत्प्रकाश सुपुत्र श्री कर्ण सिंह सुपुत्र श्री मन्दरूप निवासी गांव भदानी तहसील व जिला झज्जर से खरीद किया जाकर उक्त प्लाट को चसीका संख्या 5124 दिनांक 22.11.2013 के माध्यम से रुपये 12,25,000/- में श्रीमती शर्मिला विधवा श्री जय सिंह निवासी डी-1/15 एक्सटेंशन, मंशा राम पार्क, मैट्रो पिलर संख्या 761, उत्तम नगर, नई दिल्ली को बेचा जाना पाया गया।

प्रतिवादी द्वारा उसकी धर्मपत्नी श्रीमती मुनीष के नाम से चसीका नं० 3718 दिनांक 06.11.2013 अनुसार गांव रावलथी जिला चरखी दादरी में एक 126 वर्ग गज का प्लाट रुपये 2,77,500/- व 9,330/- रुपये स्टाम्प शुल्क, रजिस्ट्रेशन फीस खर्च करके श्रीमती प्रमिला धर्मपत्नी श्री देवेन्द्र सुपुत्र श्री राजेन्द्र निवासी गांव मलिकपुर जिला झज्जर से खरीद किया गया व चसीका नं० 853 दिनांक 13.05.2016 अनुसार नगरपालिका, झज्जर की सीमा में एक 212 वर्ग गज का प्लाट रुपये 10,00,000/- व 1,18,500/- रुपये स्टाम्प शुल्क, रजिस्ट्रेशन फीस खर्च करके श्रीमती वहीता धर्मपत्नी श्री कृष्ण कुमार सुपुत्र श्री हुसैनचन्द निवासी झज्जर से खरीद किया जाना पाया गया है। दिनांक 01.04.2004 से दिनांक 11.07.2018 तक की अवधि के दौरान प्रतिवादी द्वारा अपने व अपने परिवार के सदस्यों के नाम भारतीय जीवन बीमा निगम से ली गई जीवन बीमा पॉलिसीयों में कुल 4,11,733/- रुपये की राशि जमा होनी पाई गई।

प्रतिवादी सतीश रोजाना लगभग रुपये 20-30 हजार कमाता है बारे आरोप की पड़ताल के दौरान प्रतिवादी के बैंक खातों की स्टेटमेंट सम्बन्धित बैंकों से प्राप्त की गई जो प्रतिवादी के SBI बैंक के खाता नं० 000000065012280990 में वर्ष 2006 से लेकर 2018 तक कुल 18,82,100/- रुपये नकद तथा दी सैन्ट्रल कोपरेटिव बैंक लिमिटेड लघु सचिवालय झज्जर के बैंक खाता संख्या 000434001000672 में कुल 28,27,900/- रुपये नकद जमा होने पाये गये तथा समय-समय पर वापिस नकद निकाल लिये जाने पाये गये। जिसके बारे में प्रतिवादी से पूछने पर वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका और ना ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत कर सका। जो प्रतिवादी द्वारा अवैध रूप से इकठ्ठे करके अपने खाते में कुल 47,10,000 रुपये नकद राशि डाली गई। अतः यह प्रतिवादी की अवैध आय है। जो प्रतिवादी पर लगाये गये आरोप को सिद्ध करती है।

अतः प्रतिवादी सतीश कुमार की दिनांक 01.04.2004 से 11.07.2018 तक की आय व्यय विवरणी तैयार की गई है। जो उपरोक्त अवधि के दौरान प्रतिवादी सतीश कुमार द्वारा कुल 20,42,500 रुपये की सम्पत्ति खरीद की गई तथा कुल 47,10,000 रुपये नकद अपने बैंक खाते में जमा करवाये जाने पाये गये जो कुल 67,52,500 रुपये बनते हैं जिनको आय-व्यय तालिका में Statement B में दर्शाया गया है। प्रतिवादी द्वारा अपने वेतन, LIC Money back policy से प्राप्त आय व प्लाट बेचने पर प्राप्त की गई (Statement C) कुल आय 28,44,019 रुपये प्राप्त की गई है। प्रतिवादी द्वारा उसी वर्ष LIC बीमा पालिसी की किस्तों का भुगतान, प्लाट खरीदने पर दिया गया स्टाम्प शुल्क व रजिस्ट्रेशन फीस (Statement D) कुल खर्च 11,09,315 रुपये किया गया। प्रतिवादी द्वारा उपरोक्त अवधि के दौरान कुल बचत 17,34,704 रुपये की गई। अतः प्रतिवादी द्वारा उपरोक्त अवधि के दौरान 50,17,796 रुपये (176.43%) आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित की गई। अतः प्रतिवादी सतीश कुमार द्वारा अनुचित साधनों से आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने पर प्रतिवादी सतीश कुमार, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, (अनुबंध आधार पर कार्यरत), कार्यालय क्षेत्रिय परिवहन प्राधिकरण, बहादुरगढ़ जिला झज्जर, सुपुत्र श्री जय सिंह निवासी गांव रावलथी तहसील व जिला चरखी दादरी, वर्तमान समय में गांव बेरी पाणा चुल्याणा जिला झज्जर के विरुद्ध धारा 13(1)E r/w 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अभियोग दर्ज करने की सिफारिश सहित रिपोर्ट कार्यालय पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रोहतक मण्डल, रोहतक के पत्र क्रमांक 2396/ACB/RTK दिनांक 26.10.2023 के अनुसार महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा, पंचकूला को भेजी गई थी। जो महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा, पंचकूला के पत्र क्रमांक 18244/1-5/ACB (11) dated Panchkula 06.11.2023 व कार्यालय पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रोहतक मण्डल, रोहतक के डायरी क्रमांक 2114 दिनांक 16.11.2023 के अनुसार सतीश कुमार, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, (अनुबंध आधार पर कार्यरत), कार्यालय क्षेत्रिय परिवहन प्राधिकरण, बहादुरगढ़ जिला झज्जर, सुपुत्र श्री जय सिंह निवासी गांव रावलथी तहसील व जिला चरखी दादरी,

वर्तमान समय में गांव बेरी पाणा चुल्याणा जिला झज्जर के विरुध धारा 13(1)E r/w 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किये जाने की अनुमति प्राप्त की गई। आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के सम्बन्ध में उनका आचरण आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वाहन में लिए गए किसी भी निर्णय या की गई सिफारिश से सम्बन्धित नहीं हैं, इसलिए यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए के तहत कवर नहीं किया गया है। यह मण्डलीय भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो स्तर का मामला है। अफसरानवाला के आदेश अनुसार तहरीर तैयार की गई। अतः अभियोग पंजीकृत करके अफसरानवाला को वजरिया टेलीफोन, ई-मेल द्वारा सूचित किया जाये व स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मजिस्ट्रेट साहव को भेजी जाये। अभियोग में आगामी अनुसंधान अमल में लाया जाएगा व तफतीश के दौरान अन्य किसी का दोष पाया जाये तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही की जाये। हस्ता अंग्रेजी Bijender Kumar निरीक्षक (विजेन्द्र कुमार), भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो, उपकेन्द्र झज्जर।

अज थाना- हस्व आमदा तहरीर पर मुकदमा नम्बर 03 दिनांक 23.01.2024 धारा 13(1)E r/w 13(2) P.C Act 1988 PS ACB RTK दर्ज रजिस्टर किया जाकर अफसरान वाला को वजरिया मेल दवारा सूचना दी गई। नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर मय सम्बन्धित कागजात SP साहव द्वारा नियुक्त अनुसंधान अधिकारी निरीक्षक भगत सिंह उपकेन्द्र एंटी करप्शन व्यूरो सोनीपत के हवाले की जाएगी स्पेशल रिपोर्ट ड्यूटी मैजिस्ट्रेट साहव झज्जर को मेल द्वारा भेजी गई। उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से निरीक्षक फतेह सिंह एंटी करप्शन व्यूरो रोहतक की हाजरी में दर्ज रजिस्टर किया गया है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Bhagat Rank (पद): I (Inspector) Singh
No. (सं.): 247RTK to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Bingh

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Fateh Singh



14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Rank (पद): Inspector

No. सं 84/GGM



15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1979				
Is pox pitted: Yes						
Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)	
8	9	10	11	12	13	
Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (कां स्थान)					Others (अन्य)
Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा (सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)		
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)